प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ''सीमाशुल्क'' संसद में प्रस्तुत

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सीमाशुल्क राजस्व (2017 की रिपोर्ट सं. 1) पर लेखापरीक्षा आपत्तियों सहित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन **10 मार्च 2017** को संसद में प्रस्तुत की गई है।

इस प्रतिवेदन में ₹ 1063 करोड़ राजस्व निहितार्थ वाले सात अध्याय है ।

इस प्रतिवेदन में ₹ 1063 करोड़ राजस्व वाले 101 पैराग्राफ और दो विशिष्ट विषय अनुपालन पैराग्राफ हैं। ₹ 19 करोड़ के मूल्य वाले 70 पैराग्राफों में विभाग/मंत्रालय द्वारा कारण बताओ नोटिस के रूप में सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, और अभी तक कारण बताओ नोटिस जारीकर ₹ 15 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। मामले, जिन्हें विभाग ने स्वीकार कर लिया है और वसूलियाँ की गई हैं/वसूली कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, का उल्लेख प्रतिवेदन के अनुलग्नकों में किया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों का उल्लेख निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

I. वि.व. 15-16 के दौरान कुल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिनमें से सीमाशुल्क प्राप्तियाँ ₹ 2,10,228 करोड़ (30 प्रतिशत) थीं। मुख्यत: कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण वि.व. 15-16 के दौरान आयात में 9 प्रतिशत की गिरावट हुई, वि.व. 15-16 के दौरान निर्यात में 9.49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

{पैराग्राफ 1.2 और 1.6}

II. वि.व.15-16 में जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमाशुल्क राजस्व 1.55 प्रतिशत था जो वि.व. 14-15 से मामूली अधिक था।

{पैराग्राफ 1.7}

III. सकल कर राजस्व और अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व क्रमश: 14 प्रतिशत और 30 प्रतिशत था।

{पैराग्राफ 1.7}

IV. वि.व.15-16 में सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व 162 प्रतिशत था। पाँच निर्यात प्रोत्साहन और छूट योजनाओं के कारण इन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया कुल राजस्व 88 प्रतिशत था।

{पैराग्राफ 1.9 और 1.10}

V. बकायों की वसूली (सीमाशुल्क) की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा ने विशेष संस्थागत प्रबंधन जैसे वसूली सेल के सृजन और टॉस्क फोर्स ने राजस्व बकायों की वसूली की सीमा में सुधार पर कोई विशेष प्रभाव नही डाला। कुछ आयुक्तालयों में लेखापरीक्षा में शामिल तीन वर्षों की अवधि के दौरान ये वसूलियाँ कई गुना बढ़ गई।

VI. नमूना जाँच किए गए 31 आयुक्तालयों में 14, 18 और 23 आयुक्तालय क्रमश: 2011-12, 2012-13 तथा 2014-15 में निर्धारित वसूली लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे। लेखापरीक्षा ने ₹ 1297 करोड़ के प्रणालीगत एवं आंतरिक नियंत्रण कमियों वाले मामलों के अतिरिक्त ₹ 566 करोड़ के मामले देखे।

{पैराग्राफ 2.6.1 से 2.15}

VII. सीमाशुल्क विभाग के निवारक कार्यों की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में 38 आयुक्तालयों की नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा ने संसाधनों की कमी, समुद्री गश्त लक्ष्य पूरा न होने, गश्त वाहनों का प्रयोग न करने, अपर्याप्त आसूचना संग्रहण, अप्रचलित टेलीकम्यूनिकेशन उपकरण, पुराने हथियारों और अस्त्र-शस्त्रों तथा अप्रशिक्षित स्टॉफ के कारण निवारण कार्यों में

कमी देखी। लेखापरीक्षा ने ₹ 1.75 करोड़ और ₹ 5133 करोड़ के प्रणालीगत कमियों वाले राजस्व के मामले देखे।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.14}

VIII. शुल्क छूट/रियायत योजनाओं के अंतर्गत अनुपालन लेखापरीक्षा। लेखापरीक्षा ने विभिन्न पद्धतियों द्वारा बीजक के पंजीकरण/बीजक के प्रयोग में छेड़छाड़ के माध्यम से विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी उपकरणों के संबंध में शुल्क क्रेडिट का गलत उपयोग देखा जो धोखाधड़ी की संभावना दर्शाता है। लाइसेंसों के गलत उपयोग में निहित मौद्रिक मूल्य ₹ 51.70 करोड़ था।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.1.5}

IX. राजस्व आयातकों/निर्यातकों से ₹ 409.96 करोड़ का बकाया था जिन्होंने शुल्क छूट योजना का लाभ लिया था लेकिन ये निर्धारित दायित्वों/शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

{पैराग्राफ 4.2 से 4.7.1}

X. अनुपालन लेखापरीक्षा जिसमें सीमाशुल्क राजस्व के निर्धारण की नमूना जांच की गई थी लेखापरीक्षा ने ₹ 17.48 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के देखे। ये मामले मुख्यत: आयातों पर लागू एंटी डंपिंग शुल्क की उगाही न करने, फिरती के अधिक भुगतान, वेयरहाऊस में पड़ी वस्तुओं (शराब) के निपटान में देरी और सुरक्षा शुल्क आदि की उगाही न करने के कारण उत्पन्न हुए थे।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.7}

XI. 28 मामलों में निर्धारण अधिकारियों ने विभिन्न आयातित वस्तुओं का गलत वर्गीकरण कर दिया जिसके कारण ₹ 10.01 करोड़ के सीमाशुल्क की कम वसूली हुई/वसूली नहीं की गई।

{पैराग्राफ 6.1 से 6.10}

XII. लेखापरीक्षा ने ₹ 5.64 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाली सामान्य छूट अधिसूचनाओं के गलत कार्यान्वयन को इंगित किया। **दो मामलों में लेखापरीक्षा ने ₹ 2.34 करोड़ के राजस्व वाले मामले में जाली दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएडी) का प्रतिदाय देखा।** लेखापरीक्षा ने ₹ 3.30 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले सात अन्य मामलों में छूट अधिसूचनाओं का गलत अनुप्रयोग देखा।

{पैराग्राफ 7.1 से 7.7}